एटा में जेल भेजे गए नाबालिग ने की आत्महत्या, NHRC ने SSP से चार सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-minor-sent-to-jail-commits-suicide-in-etah-nhrc-seeks-report-from-ssp-in-four-weeks-22070819.html

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक किशोर को जेल भेजे जाने और जेल से छूटकर आने पर उसके आत्महत्या कर लेने के मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने एसएसपी एटा को पूरे प्रकरण में पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच का आदेश दिया है और चार सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने उन जज की भूमिका पर भी गौर किए जाने की बात कही है, जिनके समक्ष किशोर को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पेश किया गया था। किशोर का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले डाक्टर की भूमिका भी देखने को कहा गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर की गई शिकायत का संज्ञान लिया है। नाबालिग के पिता ने पुलिस पर उनके बेटे को झूठे मामले में फंसाने व प्रताड़ित किए जाने के संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप है कि 15 वर्ष के किशोर को बालिग बताकर जेल भेजा गया था। उसके कब्जे से मादक पदार्थ बरामद दिखाया गया था। करीब तीन माह बाद जमानत पर छूटकर बाहर आए किशोर ने इस प्रताड़ना के चलते 21 सितंबर को आत्महत्या कर ली थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी एटा को किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से पूरे प्रकरण की जांच कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि इस मामले में सभी संबंधित व्यक्तियों की भूमिका को देखा जाए। आयोग ने यह भी देखने को कहा है कि किन परिस्थितियों में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत दिए गए निर्देशों की अनदेखी की गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। एनएचआरसी ने एसएसपी को पुलिस द्वारा आरोपी की उम्र और जन्मतिथि का आकलन करने के लिए किस प्रोटोकाल का पालन किया गया, जैसे कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है।

Manish Gupta death case : मनीष गुप्ता की मौत मामले में NHRC ने गोरखपुर डीएम और एसएसपी के खिलाफ दर्ज की FIR

https://www.prabhatkhabar.com/state/up/manish-gupta-death-case-nhrc-registered-fir-against-gorakhpur-dm-and-ssp-acy

गोरखपुर में कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टांडा और थानाध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज किया है. यह केस रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट के पत्र का संज्ञान लेते हुए दर्ज किया गया है.

रामपुर के नादरबाग मढ़ैया के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खां ने मनीष गुप्ता की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा. इस पत्र में उन्होंने कहा कि गोरखपुर के इस चर्चित प्रकरण में पुलिस हीला-हवाली की कोशिश कर रही है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, प्रॉपर्टी डीलर मनीष की मौत पीटने से हुई है.

मनीष गुप्ता के पूरी शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं. उसकी कोहनी, सिर और मांसपेशियों में गहरी चोट लगी है. मनीष के सिर के अगले हिस्से पर तेज प्रहार किया गया, जिससे उनके नाक के पास से खून बह रहा था. मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी झूठी कहानी की पोल खोलकर रख दी है.

हालांकि, पुलिस ने घटना के बाद अपने पहले बयान में इसे हादसे में हुई मौत बताया था. दानिश खां ने अपने पत्र में डीएम, एसएसपी और संबंधित थाना पुलिस पर कार्रवाई की मांग की थी. मानवाधिकार आयोग ने दानिश के पत्र का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया है.

बता दें, व्यवसायी मनीष गुप्ता की मौत पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, हमें सूचना मिली कि 27 सितंबर की रात एक होटल में चेकिंग की गई. एक कमरे में 3 लोग थे, जिनमें से 2 के पास पहचान पत्र थे जबकि तीसरे के पास शायद नहीं था. उसने भागने की कोशिश की, गिर गया और घायल हो गया. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, डॉक्टरों के एक पैनल ने तुरंत उसका पोस्टमॉर्टम किया. मामले में 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. जब उनका परिवार वहां

पहुंचा, तो मृतक की पत्नी ने शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और सरकार से मुआवजे की भी घोषणा की गई.

एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया, आज मनीष गुप्ता के शव का अंतिम संस्कार किया गया. दोषियों को बख्शा न जाएगा. संबंधित एडीजी-डीआईजी रेंज के अधिकारी इसकी जांच करें. 2 समितियां, जो पहले बनी थीं, उन लोगों की पहचान करेंगी जो दागी हैं और जिनके खिलाफ ऐसी शिकायतें हैं. निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं.

जेल में हिंसा पर एनएचआरसी ने जेल प्रशासन को जारी किया नोटिस

https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-ncr-nhrc-issues-notice-to-jail-administration-on-violence-in-jail-22068965.html

दिल्ली की जेलों में कैदियों के बीच हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। आयोग की ओर से इस बाबत जेल महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में जेल में हिंसा के बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। यह रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया गया है। इस बात का भी उत्तर देने को कहा गया है कि हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं या भविष्य में क्या क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं।

नोटिस में कहा गया है कि जेल के अंदर हिंसा की बढ़ रही घटनाएं अधिकारियों की लापरवाही की ओर इशारा कर रही हैं। इस हिंसा से हिरासत में कैदियों के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। बता दें कि जेल संख्या तीन में अंकित गुर्जर नामक कैदी की हत्या मामले में जेलकर्मियों को आरोपित बनाया गया है। इसके बाद जेल में आए दिन छिटपुट हिंसा के मामले सामने आते रहते हैं।

अंकित गुर्जर की हत्या के बाद जेल में एक कैदी की हत्या का प्रयास का मामला सामने आया। इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो जेल में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को बयां कर रही हैं। हालांकि, जेल प्रशासन की ओर से ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं और योजना बनाई जा रही है।

बता दें कि दिल्ली की जेल में कई खूंखार कैदी बंद हैं। हाल में ही रोहिणी कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद से जेल में बंद इस हत्याकांड के मुख्य मास्टरमांइड टिल्लू ताजपुरिया के गैंग के सदस्यों पर हमले होने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में जेल प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा सतर्कता बरत रहा है। हालांकि यह भी बता दें कि आए दिन जेल में जब भी प्रशासन के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जाता है तो कैदियों के पास से नशीले पदार्थ जैसे गांजा, मोबाइल एवं पैसे मिलते रहते हैं।

DAINIK JAGRAN, Delhi, 1.10.2021
Page No. 13, Size:(10.42)cms X (13.76)cms.

कानपुर के दिवंगत व्यापारी की पत्नी को मिलेगी नौकरी, बढ़ेगा मुआवजा

जागरण संवाददाता, कानपुर : कानपुर के प्रापर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत मनीष के स्वजन से मिलकर सांत्वना दी और उनकी पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) में विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) पद पर नौकरी देने के आदेश के साथ घटना की जांच कानपुर पुलिस से कराने की बात कही। मुख्यमंत्री ने परिवार को आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने का भरोसा देकर कहा कि सरकार घटनाक्रम की जांच सीबीआइ से कराने पर विचार कर रही है।

कानपुर के डीएवी कालेज मैदान में विकास उत्सव कार्यक्रम के लिए आए मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन के हेलीपैड पर बने सेफहाउस में दिवंगत मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी, बेटे अभिराज, पिता नंदकिशोर गुप्ता और साले सौरभ गुप्ता से मुलाकात की।

दिवंगत मनीष के शव के अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस को बुधवार को मान-मनौवल और मशक्कत करनी पड़ी।

उधर, सपा नेता अखिलेश यादव ने गुरुवार को मनीष गुप्ता के स्वजन को सांत्वना दी। उन्होंने मनीष की पत्नी मीनाक्षी को 20 लाख रुपये की मदद करने का आश्वासन दिया। सरकार से दो करोड़ मुआवजे की मांग रखी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज

जासं, रामपुर : रामपुर के आरटीआइ कार्यकर्ता दानिश खान ने गोरखपुर में होटल की चेकिंग के दौरान प्रापर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज कराया है।

NAVBHARAT TIMES, Lucknow, 1.10.2021
Page No. 12, Size:(4.41)cms X (11.51)cms.

एनएचआरसी ने पुलिस से तलब की जांच रिपोर्ट

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एटा में नाबालिग को बालिग बताकर जेल भेजने और बाहर आने के बाद उसके द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में चार सप्ताह में जांच

रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने एसएसपी एटा को किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से पूरे प्रकरण की जांच करवाने को कहा गया है।

आयोग ने इस मामले में सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा निभाई गई भूमिका पर गौर करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें जज भी शामिल हैं। इसके अलावा उस डॉक्टर की भूमिका की जांच भी होगी, जिसने किशोर की मेडिकल जांच की थी। एटा पुलिस ने किशोर को नशीली दवाओं के मामले में जेल भेजा था।

मानवाधिकार आयोग ने सफ़ाईकर्मियों की मौत के मामलों में ज़िम्मेदारी तय करने की पैरवी की

http://thewirehindi.com/188262/nhrc-calls-for-fixing-responsibility-in-cases-of-death-of-workers-during-hazardous-cleaning/

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श जारी कर कहा है कि खतरनाक स्थिति में सफाई करने एवं मैला ढोने के दौरान सफाईकर्मियों की मौत होने के मामलों में जिम्मेदारी तय की जाए. उसने यह भी कहा कि सफाईकर्मियों के साथ भी 'अग्रिम मोर्चे पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी' की तरह व्यवहार किया जाए.

उसने सफाईकर्मियों को सुरक्षा कवर प्रदान करने और उनके मानवाधिकार की रक्षा के लिए कई सुझाव भी दिए हैं.

जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाले मानवाधिकार आयोग ने अपने परामर्श में कहा है कि खतरनाक स्थिति में सफाई करने, मैला साफ करने एवं ढोने के दौरान सफाइकर्मी की मौत होने पर स्थानीय प्राधिकार और ठेकेदार या नियोक्ता की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तय की जाए.

आयोग की ओर से इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया है. उसने कहा है कि आयोग के परामर्श में दिए सुझावों को लागू किया जाए.

मानवाधिकार आयोग ने इस संदर्भ में तीन महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की है.

आयोग ने कहा है कि सफाईकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, प्रौद्योगिकी का उपयोग हो, संबंधित एजेंसियों या नियोक्ताओं की जवाबदेही तय हो, जागरूकता फैलाई जाए और न्याय एवं पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मानवाधिकार आयोग ने सिफारिश की है कि सेप्टिक टैंक या सीवर लाइनों में प्रवेश करने या साफ करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हेलमेट, सुरक्षा जैकेट, दस्ताने, मास्क, गमबूट, सुरक्षा चश्मा और टॉर्च प्रदान किया जाना चाहिए.

एक अन्य सिफारिश में कहा गया है कि हितधारकों द्वारा विधिवत स्वीकृत और मान्यता प्राप्त तकनीकी उपकरणों जैसे, बैंडिकूट, स्वेर क्रोक्स, कामजेट जीआर, मोबाइल सेप्टेज ट्रीटमेंट यूनिट (एमएसयू) आदि के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

आयोग ने सिफारिश की कि आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पुनर्वासित और प्रशिक्षित या कुशल हाथ से मैला ढोने वालों का एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस बनाना चाहिए. इसके अलावा हाथ से मैला ढोने में लगे व्यक्तियों की उचित पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए.

आयोग ने कहा कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों में संबंधित विभागों के सभी अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए. मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास (पीईएमएसआर) अधिनियम, 2013 के तहत रोजगार के निषेध के कार्यान्वयन की निगरानी के अलावा जनता को संवेदनशील बनाने के उपाय किए जाने चाहिए.

मालूम हो कि देश में पहली बार 1993 में मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था. इसके बाद 2013 में कानून बनाकर इस पर पूरी तरह से बैन लगाया गया. हालांकि आज भी समाज में मैला ढोने की प्रथा मौजूद है.

मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के तहत किसी भी व्यक्ति को सीवर में भेजना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. अगर किसी विषम परिस्थिति में सफाईकर्मी को सीवर के अंदर भेजा जाता है तो इसके लिए 27 तरह के नियमों का पालन करना होता है. हालांकि इन नियमों के लगातार उल्लंघन के चलते आए दिन सीवर सफाई के दौरान श्रमिकों की जान जाती है.

बता दें कि इससे पहले फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने बताया कि देश में हाथ से मैला ढोने वाले (मैनुअल स्कैवेंजर) 66,692 लोगों की पहचान कर ली गई है. इनमें से 37,379 लोग उत्तर प्रदेश के हैं.

किशोर की खुदकुशी के मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त, मांगी रिपोर्ट

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/etah-commission-strict-in-case-of-suicide-of-teenager-sought-report-from-police-22071595.html

शहर के मुहल्ला बापू नगर निवासी 16 वर्षीय किशोर के गोली मारकर खुदकुशी करने के मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने एसएसपी से छह सप्ताह के भीतर मामले की रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने नाबालिग को जेल भेजने में पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच कराने को कहा है।

मुहल्ला बापू नगर की गली नंबर चार निवासी रवींद्र सिंह चौहान के 16 वर्षीय पुत्र अभिषेक चौहान ने 21 सितंबर को घर के एक कमरे में तमंचे से गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। अभिषेक के पिता रवेंद्र सिंह चौहान ने शहर कोतवाली के एसआइ मोहित राणा और शिवकुमार, हेड कांस्टेबल उपेंद्र कुमार व कांस्टेबल रवीश पर बेटे का उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में पिता ने चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ शहर कोतवाली में खुदकुशी को प्रेरित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रवेंद्र की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पुलिसकर्मियों पर लगे आरोप की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराए जाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने साफ कहा है कि इस मामले में जिम्मेदार सभी की जांच की जाए। पूरी जांच रिपोर्ट छह सप्ताह में आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी उदयशंकर सिंह ने बताया कि मानवाधिकार आयोग का पत्र मिला है, आयोग ने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन किया जाएगा। क्या था मामला:

पिता का आरोप है कि उनके बेटे को नौ मार्च, 2021 को दारोगा मोहित राणा ने बाइक चोरी और चेन स्नैचिग का आरोप लगाकर पकड़ा। 12 मार्च को आधा किलो नशीला पाउडर डायजापाम बरामद दिखाकर नाबालिग बेटे को जिला कारागार भेज दिया। जबकि नाबालिग होने की वजह से उसे जिला कारागार नहीं भेजा जाना चाहिए। 25 जून को अभिषेक जेल से छूटकर आया था। तब से बेटा क्षुब्ध था। अभी तक चल रही जांच

किशोर द्वारा की गई खुदकुशी के मामले में जिन चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी जांच सीओ सिटी राजकुमार कर रहे हैं। अभी तक आरोपितों के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। सीओ सिटी का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किशोर के पिता गुरुवार को एसएसपी से भी मिले। उन्होंने भी जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

एटा: पुलिस की कार्रवाई से आहत 15 साल के किशोर ने दी जान, मानवाधिकार आयोग ने तलब की रिपोर्ट

https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/agra/nhrc-sought-report-from-up-police-in-alleged-suicide-by-minor-boy-in-etah

एटा जिले में कथित तौर पर मादक पदार्थ रखने के आरोप में पुलिस ने 15 साल के किशोर को जेल भेज दिया। जमानत पर बाहर आने के बाद किशोर ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एटा पुलिस से जवाब तलब किया है। साथ ही आयोग ने अपने जांच विभाग को मौके पर जाकर मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया है।

एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को सीनियर रैंक के एक पुलिस अधिकारी द्वारा आरोपों की जांच करने और चार सप्ताह के भीतर आयोग को कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

आयोग ने कहा कि उसने समाचार की एक क्लिपिंग के साथ इस शिकायत का संज्ञान लिया है कि 15 वर्षीय एक किशोर मादक पदार्थ रखने के आरोप में एक वयस्क के रूप में जेल भेजे जाने की यातना को सहन नहीं कर सका। उसने तीन महीने बाद जमानत पर रिहा होने के बाद 21 सितंबर को उत्तर प्रदेश के एटा में आत्महत्या कर ली।

NAVBHARAT TIMES, Delhi, 1.10.2021
Page No. 16, Size:(8.70)cms X (10.76)cms.

जेल से लौटे किशोर की आत्महत्या पर रिपोर्ट तलब

■ भाषा, नई दिल्ली

यूपी के एटा में जमानत पर रिहाई के बाद आत्महत्या की थी किशोर ने

मादक पदार्थ रखने के आरोप में एक 15 साल के किशोर को जेल भेजे जाने और उसके बाद किशोर के आत्महत्या कर लेने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने यूपी की एटा पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा, आयोग ने अपने जांच विभाग को मौके पर जाकर मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया है। एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि उसने एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को सीनियर रैंक के एक पुलिस अधिकारी की ओर से आरोपों की जांच करने और चार सप्ताह के भीतर आयोग को कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। बता दें कि किशोर नशीली दवाएं रखने के आरोप में एक वयस्क की तरह जेल भेजे जाने की यातना को सहन नहीं कर सका। उसने तीन महीने बाद जमानत पर रिहा होने के बाद 21 सितंबर को उत्तर प्रदेश के एटा में आत्महत्या कर ली थी। उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करने के बजाय जिला जेल भेज दिया गया था। किशोर के पिता का कथित तौर पर आरोप है कि उसके बेटे को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया और पुलिस ले पैसे वसूलने के लिए उसे प्रताड़ित किया था।

MILLENNIUM POST, Delhi, 1.10.2021
Page No. 5, Size:(13.04)cms X (9.10)cms.

Minor boy sent to jail in UP, commits suicide; NHRC seeks report from SSP

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The NHRC has sought a report from the Etah district police in Uttar Pradesh into a recent incident of alleged suicide by a minor boy after he was "sent to a jail as an adult" on charges of drug possession, officials said on Thursday.

In addition to this, the commission has also directed its investigation division to conduct an on-the-spot inquiry into the case.

The National Human Rights Commission (NHRC) in a statement said that it has directed the Etah senior superintendent of police (SSP) to have the allegations probed by a senior-rank police officer and submit an action taken report to the commission within four weeks.

The rights panel said it has "taken cognisance of a complaint, accompanied by a news clipping, that a 15-year-old minor boy, unable to bear the torture of being sent to a jail as an adult, on charges of drug possession, committed suicide, when released on bail after three months in Etah, Uttar Pradesh, on September 21, 2021".

It said that allegedly, the boy was arrested by the Etah police in connection with "drug possession" and was sent to the district jail, instead of being produced him before a Juvenile Justice Board.

The boy's father has reportedly alleged that his son was "illegally arrested and tortured to extort money by the police," it said.

The NHRC has directed the SSP to have the allegations inquired into, keeping in mind some points, including what protocol is being followed for assessing the age and date of birth of the accused by police.

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 1.10.2021
Page No. 11, Size:(10.20)cms X (18.88)cms.

किशोर की खुदकुशी पर एटा के एसएसपी से जवाब तलब

नई दिल्ली (एसएनबी)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मादक पदार्थ रखने के आरोप में व्यस्क के तौर पर जेल भेजे जाने के वाद 15 वर्षीय एक किशोर के कथित तौर पर आत्महत्या कर लेने के एक हालिया मामले में उत्तर प्रदेश की एटा जिला पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने अपने जांच विभाग को मौके पर जाकर मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया है। एनएचआरसी ने एक वयान में कहा कि उसने एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को सीनियर रैंक के एक पुलिस अधिकारी द्वारा आरोपों की जांच कराने और चार सप्ताह के भीतर आयोग को कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

आयोग ने कहा कि उसने इस शिकायत का संज्ञान लिया है कि 15 वर्षीय एक किशोर मादक पदार्थ रखने के आरोप में एक वयस्क के रूप में जेल भेजे जाने की यातना को सहन नहीं कर सका। उसने तीन महीने वाद जमानत पर रिहा होने के वाद 21 सितंवर को उत्तर प्रदेश के एटा में आत्महत्या कर ली। कथित तौर पर किशोर को एटा पुलिस ने नशीली दवाएं रखने के संवंध में गिरफ्तार किया था और उसे किशोर न्याय वोर्ड के समक्ष पेश करने के वजाए जिला जेल भेज दिया गया था। आयोग ने कहा कि किशोर के पिता ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि उसके वेटे को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था और पुलिस द्वारा पैसे वसूलने के लिए प्रताड़ित किया गया था। एनएचआरसी ने एसएसपी को पुलिस द्वारा आरोपी की उम्र और जन्मतिथि का आकलन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का पालन किया गया, जैसे कुछ विंदुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। किशोर न्याय (वच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (जेजे अधिनियम) के नियम 7 और धारा 94 (सी) के अनुसार, जन्म तिथि उम्र का प्राथमिक प्रमाण है।

DAINIK JAGRAN, Agra, 1.10.2021
Page No. 12, Size:(5.77)cms X (21.14)cms.

एनएचआरसी ने एटा में किशोर की आत्महत्या पर मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, लखनऊः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एटा में एक किशोर को जेल भेजे जाने तथा जेल से छूटकर आने पर किशोर के आत्महत्या कर लेने के मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने एसएसपी एटा को पूरे प्रकरण में पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच का आदेश दिया है और चार सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने उन जज की भूमिका पर भी गौर किए जाने की बात कही है, जिनके समक्ष किशोर को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पेश किया गया था। किशोर का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले डाक्टर की भूमिका भी देखने को कहा गया है।

एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर की गई शिकायत का संज्ञान लिया है। किशोर के पिता ने पुलिस पर उनके बेटे को झूठे मामले में फंसाने व प्रताड़ित किए जाने के संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप है कि 15 वर्ष के किशोर को बालिग बताकर जेल भेजा गया था। उसके कब्जे से मादक पदार्थ बरामद दिखाया गया था। करीब तीन माह बाद जमानत पर छूटकर बाहर आए किशोर ने इस प्रताड़ना के चलते 21 सितंबर को आत्महत्या कर ली थी।